



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012023-241626
CG-DL-E-03012023-241626

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]
No. 1]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 2, 2023/पौष 12, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 2, 2023/PAUSHA 12, 1944

रेल मंत्रालय

(उत्तर रेलवे)

(निर्माण संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2022

का.आ. 1(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24), 2008 के बिल नंबर 19 के माध्यम से संशोधित की धारा 2 के खंड (7ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने एतद्वारा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी निम्नलिखित तालिका के कालम (2) के उद्धृत अधिकारी को कालम (3) में वर्णित राज्य में कार्य निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन तथा आपरेशन के लिए तालिका के कालम 4 में दिए गए अनुसार रेलवे परियोजना से संबंधित मामलों में सक्षम अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए प्राधिकृत किया है।

क्र.सं.	सक्षम अधिकारी	राज्य	रेल परियोजना का नाम
1	2	3	4
	उप मंडल, मजिस्ट्रेट, मुकरियों,	पंजाब	नंगल डैम—तलवाड़ा—मुकरियों नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के दौलतपुर चौक—करटोली पंजाब—तलवाड़ा अनुभाग में और पटियाल—भंगाला अनुभाग में 82.95 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण।

[फा. सं. 190-W/Land/Misc./K.Gate]

ए. के. सिंघल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS
(Northern Railway)
(CONSTRUCTION ORGANIZATION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2022

S.O. 1(E).—In Exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) amended through Bill No.19 of 2008 the Central Government hereby authorizes the Officer mentioned in column (2) of the table below to perform the functions of the “**Competent Authority**” in respect of Railway Project as mentioned in column (4) of the table, for execution, maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of the said table, with effect from the date of this notification in the Official Gazette.

Sr. No.	Competent Authority	State	Name of Project
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sub Divisional Magistrate, Mukerian	Punjab	Acquisition of balance 82.95 hectare land for Daulatpur Chowk – Kartoli Punjab- Talwara Section and Patial- Bhangala section of Nangal Dam- Talwara New Broad Gauge Rail Line Project.

[F. No. 190-W/Land/Misc./K.Gate]

A.K. SINGHAL, Chief Administrative Officer/Construction

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2022

का.आ. 2(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24), 2008 के बिल नंबर 19 के माध्यम से संशोधित की धारा 20एफ के खंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने एतद्वारा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी निम्नलिखित तालिका के कालम (2) के उद्धृत अधिकारी को कालम (3) में वर्णित राज्य में कार्य निष्पादन, अनुसंधान, प्रबंधन तथा आपरेशन के लिए तालिका के कालम (4) में दिए गए अनुसार रेलवे परियोजना से संबंधित मामलों में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए प्राधिकृत किया है ।

क्र. सं.	मध्यस्थ अधिकारी	राज्य	रेल परियोजना का नाम
1	2	3	4
1	उपायुक्त, होशियारपुर	पंजाब	नंगल डैम-तलवाड़ा-मुकेरियाँ नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के दौलतपुर चौक-करटोली पंजाब-तलवाड़ा अनुभाग में और पटियाल-भंगाला अनुभाग में 82.95 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण ।

[फा. सं. 190-W/Land/Misc./K.Gate]

ए. के. सिंघल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2022

S.O. 2(E).—In Exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) amended through Bill No.19 of 2008 the Central Government hereby authorizes the Officer mentioned in column (2) of the table below to perform the functions of the “**Arbitrator**” in respect of Railway Project as mentioned in column (4) of the table, for execution, maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of the said table, with effect from the date of this notification in the Official Gazette.

Sr. No.	Competent Authority	State	Name of Project
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Deputy Commissioner, Hoshiarpur	Punjab	Acquisition of balance 82.95 hectare land for Daulatpur Chowk – Kartoli Punjab- Talwara Section and Patial- Bhangala section of Nangal Dam- Talwara New Broad Gauge Rail Line Project.

[F. No. 190-W/Land/Misc./K.Gate]

A.K. SINGHAL, Chief Administrative Officer/Construction

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2022

का.आ. 3(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24), 2008 के बिल नंबर 19 के माध्यम से संशोधित की धारा 2 के खंड (7ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने एतद्वारा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी निम्नलिखित तालिका के कालम (2) के उद्धृत अधिकारी को कालम (3) में वर्णित राज्य में कार्य निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन तथा आपरेशन के लिए तालिका के कालम 4 में दिए गए अनुसार रेलवे परियोजना से संबंधित मामलों में सक्षम अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए प्राधिकृत किया है।

क्र. सं.	सक्षम अधिकारी	राज्य	रेल परियोजना का नाम
1	2	3	4
1	सहायक आयुक्त एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी(रेलवे), उना	हिमाचल प्रदेश	नंगल डैम—तलवाड़ा—मुकेरियों नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के दौलतपुर चौक—करटोली पंजाब—तलवाड़ा अनुभाग में 7.65 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण।

[फा. सं. 190-W/Land/Misc./K.Gate]

ए. के. सिंघल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2022

S.O. 3(E).—In Exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) amended through Bill No.19 of 2008 the Central Government hereby authorizes the Officer mentioned in column (2) of the table below to perform the functions of the “Competent Authority” in respect of Railway Project as mentioned in column (4) of the table, for execution, maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of the said table, with effect from the date of this notification in the Official Gazette.

Sr. No.	Competent Authority	State	Name of Project
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Assistant Commissioner cum Land Acquisiton Officer (Railway), Una	Himachal Pradesh	Acquisition of balance 7.65 hectare land for Daulatpur Chowk – Kartoli Punjab- Talwara Section of Nangal Dam- Talwara New Broad Gauge Rail Line Project.

[F. No. 190-W/Land/Misc./K.Gate]

A.K. SINGHAL, Chief Administrative Officer/Construction

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2022

का.आ. 4(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24), 2008 के बिल नंबर 19 के माध्यम से संशोधित की धारा 20एफ के खंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने एतद्वारा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी निम्नलिखित तालिका के कालम (2) के उद्धृत अधिकारी को कालम (3) में वर्णित राज्य में कार्य निष्पादन, अनुसंधान, प्रबंधन तथा आपरेशन के लिए तालिका के कालम (4) में दिए गए अनुसार रेलवे परियोजना से संबंधित मामलों में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए प्राधिकृत किया है ।

क्र.सं.	मध्यस्थ अधिकारी	राज्य	रेल परियोजना का नाम
1	2	3	4
1	उपायुक्त, उना	हिमाचल प्रदेश	नंगल डैम-तलवाड़ा-मुकेरियों नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के दौलतपुर चौक-करटोली पंजाब-तलवाड़ा अनुभाग में 7.65 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण ।

[फा. सं. 190-W/Land/Misc./K.Gate]

ए. के. सिंघल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2022

S.O. 4(E).—In Exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) amended through Bill No.19 of 2008 the Central Government hereby authorizes the Officer mentioned in column (2) of the table below to perform the functions of the “Arbitrator” in respect of Railway Project as mentioned in column (4) of the table, for execution, maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of the said table, with effect from the date of this notification in the Official Gazette.

Sr. No.	Competent Authority	State	Name of Project
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Assistant Commissioner cum Land Acquisiton Officer (Railway), Una	Himachal Pradesh	Acquisition of balance 7.65 hectare land for Daulatpur Chowk – Kartoli Punjab- Talwara Section of Nangal Dam- Talwara New Broad Gauge Rail Line Project.

[F. No. 190-W/Land/Misc./K.Gate]

A.K. SINGHAL, Chief Administrative Officer/Construction